अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं अन्य

बनाम

टी. विट्ठल राव और अन्य

2 फ़रवरी 2006

[एस.बी. सिन्हा और पीएक्स बालासुब्रमण्यन, जे.जे.)

सेवा कानून:

ट्रेन अधीक्षकों को ओवरटाइम भत्ता - एक परिपत्र जारी करके उन्हें पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया, जिससे वे ओवरटाइम भत्ता प्राप्त करने से वंचित हो गए - परिपत्र वापस लेना - बीच की अवधि के लिए बकाया का दावा करना - रोक दिया गया: परिपत्र / अधिसूचना प्रभावी नहीं है - चूंकि परिपत्र / अधिसूचना वापस ले ली गई है और यथास्थिति बहाल कर दी गई, तो पदधारी को केवल गैर-पर्यवेक्षी क्षमता में ही जारी माना जाएगा-इसलिए, वे बीच की अवधि के लिए ओवरटाइम भत्ते का दावा करने के हकदार हैं।

रेलवे में ट्रेन अधीक्षक के रूप में कार्यरत उत्तरदाता ओवरटाइम भत्ता पाने के हकदार थे। बाद में, परिपत्र दिनांक 2.8.84 के अनुसार उन्हें पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया, जिससे वे ओवरटाइम भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं हो गए। हालाँकि, उक्त सर्कुलर को बाद में रेलवे

बोर्ड ने वापस ले लिया था। उत्तरदाताओं ने बीच की अवधि के लिए बकाया राशि का दावा किया, जिसे अधिकारियों ने खारिज कर दिया। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। ट्राइबिनल ने यह कहते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि वे ओवरटाइम भत्ते के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल के उक्त फैसले की सत्यता या अन्यथा पर सवाल उठाने वाली अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं को पर्यवेक्षी स्थिति प्रदान करने वाले पहले परिपत्र को वापस लेने वाले परिपत्र दिनांक 11.4.2001 का पूर्वव्यापी प्रभाव या पूर्वव्यापी संचालन नहीं था और मामले को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने, बीच की अवधि के लिए उत्तरदाताओं के पक्ष में ओवरटाइम भत्ते के भुगतान का निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की; और यह कि याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित थी।

उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि चूंकि परिपत्र दिनांक 2.8.1984 को वापस ले लिया गया था, वे ओवरटाइम भत्ते के हकदार बन गए।

अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. उत्तरदाताओं को ओवरटाइम भत्ता तभी देय होना बंद हो गया जब उन्हें पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया। दिनांक 11.4.2001 की

अधिसूचना के कारण, 2.8.1984 को प्राप्त यथास्थिति बहाल कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को केवल गैर-पर्यवेक्षी श्रेणी में बने रहने के लिए जारी माना जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र पत्र के संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि जब तक उचित निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मध्यवर्ती अवधि यानी 2.8.1984 से 4.2001 तक यह प्रथा प्रभावी रहेगी। चूँकि यह प्रथा प्रभावी रही, उत्तरदाता गैर-पर्यवेक्षी श्रेणी में बने रहे और इस मामले को ध्यान में रखते हुए उन्हें ओवरटाइम भत्ते का हकदार माना गया। [1100-एफ, जी]

1.2. दिनांक 11.4.2001 के परिपत्र पत्र में यह नहीं कहा गया है कि यह प्रकृति में संभावित है। इसमें आगे यह नहीं कहा गया है कि ओवरटाइम भत्ता जारी होने के बाद ही उत्तरदाताओं को देय होगा। पिछला परिपत्र दिनांक 2.8.1984 वापस ले लिया गया है, परिपत्र दिनांक 2.8.1984 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा जारी पत्र दिनांक 20.9.2001 से ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 11.4.2001 के परिपत्र पत्र को भी उसी तरह से समझा गया था जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा किया गया था क्योंकि उसमें कहा गया था कि निर्धारित घंटों से अधिक अतिरिक्त कार्य के लिए ट्रेन अधीक्षक ओवरटाइम भत्ते के पात्र होंगे क्योंकि उन्हें गैर-पर्यवेक्षी पद के तहत माना जाना चाहिए। [1100-एच; 1101-ए, बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 939/2006

(रिट याचिका संख्या 1625/2004 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.3.2005 से)

अपीलकर्ताओं के लिए ए. शरण, रुद्रेश्वर सिंह और बी. कृष्णा प्रसाद।

सी.एस.एन. प्रतिवादियों की ओर से मोहन राव और डी. महेश बाबू।

न्यायालय का फैसला **एस.बी.सिन्हा, जे.** द्वारा सुनाया गया।

अनुमति दी गई।

यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1625/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.3.2005 के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत और इसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 0.ए.नं.13/2003 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक

3.10.2003 की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था, को खारिज कर दिया गया था।

मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है। यहां उत्तरदाता हर समय ट्रेन अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। माना जाता है कि 2.8.1984 से पहले उन्हें गैर-पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया था। रेलवे बोर्ड ने 2.8.1984 को एक परिपत्र जारी किया जिसके अनुसार उन्हें पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया।

निर्विवाद रूप से, 2.8.1984 से पहले जो लोग निर्धारित घंटों से अधिक काम करते थे, वे ओवरटाइम भत्ता पाने के हकदार थे। चूंकि उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 2.8.84 के कारण उत्तरदाताओं को पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया था, वे ओवरटाइम भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। हालाँकि, उक्त परिपत्र पत्र को रेलवे बोर्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए 11.4.2001 को वापस ले लिया गया था:

> "राजधानी एक्सप्रेस के अलावा अन्य ट्रेनों में ट्रेन अधीक्षकों के वर्गीकरण के लंबित प्रश्न पर फेडरेशन के साथ आगे चर्चा की जा रही है, इस मामले पर बोर्ड द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और इसे निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

(i) बोर्ड के पत्र क्रमांक ई(एलएल)/79/एचईआर/1-13, दिनांक 2.8.84 में दिए गए निर्देश तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं।

(ii) 2.8.84 से 11.4.2001 तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए (अर्थात्, इस पत्र के जारी होने की तिथि), राजधानी एक्सप्रेस के अलावा अन्य ट्रेनों में ट्रेन अधीक्षकों को पर्यवेक्षी या गैर-पर्यवेक्षी के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में प्रत्येक रेलवे पर अपनाई गई प्रथा प्रभावी रहेगी।

(iii) राजधानी एक्सप्रेस के अलावा अन्य ट्रेनों में ट्रेन अधीक्षकों के 'पर्यवेक्षी' के रूप में वर्गीकरण के संबंध में मामले को दो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के परामर्श से शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाएगा।"

उत्तरदाताओं ने उपरोक्त परिपत्र पत्र दिनांक 11.4.2001 के मद्देनजर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया, जिसे O.A.No.13/03 के रूप में चिह्नित किया गया था। ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां उत्तरदाताओं की ड्यूटी के घंटे हर पखवाड़े 108 घंटे थे, वहीं 205 घंटे काम करने वाले उत्तरदाता हर पखवाड़े 97 घंटे के अतिरिक्त समय भत्ते के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल

के उक्त फैसले की सत्यता या अन्यथा पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. शरण ने प्रस्तुत किया कि उक्त परिपत्र दिनांक 11.4.200 का पूर्वव्यापी प्रभाव या पूर्वव्यापी संचालन नहीं था और मामले को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने 2.8.1984 से 11.4.200 तक की अवधि के लिए उत्तरदाताओं के पक्ष में ओवरटाइम भत्ते के भुगतान का निर्देश देने में गंभीर त्रुटि की। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मूल आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित हुआ है कि उत्तरदाताओं ने इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया कि उन्होंने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण की तारीख से ओवर टाइम भत्ता प्राप्त किया है।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी.एस.एन.मोहन राव ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त परिपत्र दिनांक 11.4.2001 के कारण, पिछला परिपत्र दिनांक 2.8.1984 वापस ले लिया गया था, उत्तरदाता ओवरटाइम भत्ते के हकदार बन गए।

दिनांक 11.4.200 के परिपत्र को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस तरह दिनांक 2.8.1984 का पिछला परिपत्र पत्र वापस

ले लिया गया। इस बात से इंकार या विवाद नहीं है कि डिवीजन में प्रचलित प्रथा यह थी कि राजधानी एक्सप्रेस के ट्रेन अधीक्षकों के अलावा अन्य लोग भी ओवरटाइम भत्ते के हकदार थे। उत्तरदाताओं को ओवरटाइम भत्ता तभी देय होना बंद हो गया जब उन्हें पर्यवेक्षी श्रेणी में रखा गया। दिनांक 11.4.200 की उक्त अधिसूचना के कारण, मैं निर्विवाद रूप से, 2.8.1984 को प्राप्त यथास्थिति को बहाल कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को केवल गैर-पर्यवेक्षी श्रेणी में बने रहने के लिए माना जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र पत्र के संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि जब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मध्यवर्ती अवधि यानी 2.8.1984 से 11.4.2001 तक यह प्रथा प्रभावी रहेगी। चूँकि यह प्रथा प्रभावी रही, उत्तरदाता गैर-पर्यवेक्षी श्रेणी में बने रहे और इस मामले को देखते हुए उन्हें ओवरटाइम भत्ते का हकदार माना गया। दिनांक 11.4.2001 के परिपत्र पत्र में यह नहीं कहा गया है कि यह प्रकृति में संभावित है। इसमें आगे यह नहीं कहा गया है कि ओवरटाइम भत्ता जारी होने के बाद ही उत्तरदाताओं को देय होगा। पिछला परिपत्र दिनांक 2.8.1984 वापस ले लिया गया है, परिपत्र दिनांक 2.8.1984 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, डिवीजन रेलवे मैनेजर (पी) एससी द्वारा सीनियर डीसीएम/एससी को जारी दिनांक 20.9.2001 के एक पत्र से, ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 11.4.2001 के परिपत्र पत्र को भी

उत्तरदाताओं द्वारा डोरी के समान ही समझा गया था क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि निर्धारित घंटों से अधिक अतिरिक्त कार्य के लिए ट्रेन अधीक्षक ओवरटाइम भत्ते के पात्र होंगे क्योंकि उन्हें गैर-पर्यवेक्षी पद के तहत माना जाना चाहिए।

पी. महेंद्रन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, [1990] एल एससीसी 411 जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, वर्तमान मामले में कोई सहायता नहीं करता है। उसमें विचार के लिए यह प्रश्न उठा कि क्या संशोधित नियमों में निहित योग्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए या क्या नियमों की प्रकृति संभावित होने के कारण अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं छीना जा सकता है।

एन. टी. डेविन कट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य [1990] 3 एससीसी 157 इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि आरक्षण नीति में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं किया जा सकता है ताकि चयन के लिए विज्ञापन के संदर्भ में उम्मीदवारों के मौजूदा अधिकार प्रभावित हों जो नीति में बदलाव से बहुत पहले जारी किए गए थे।

उपरोक्त कारणों से हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्ष अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

एस.के.एस. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।